राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

क्रमांकःपैरामेडि.कौं / मान्यता / 2023 / 148 दिनांक :– 10/04/2023

–:: कार्यालय आदेश ::–

Nimt College of Paramedical Sciences, Bagrana, Post - Kanota, Agra Road Jaipur, Shri Ram College of paramedical Science kanota Jaipur व Dr. Dayal Institute of Paramedical Technology, Village -Vijaypura, Post – Jamroli, Dist.- Jaipur के विरूद्ध राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के शैक्षणिक सत्र 2021–22 में अध्ययनरत छात्रों द्वारा उक्त तीनो संस्थाओं के छात्रों का संयुक्त रूप से अध्ययन एक ही भवन में कराये जाने के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होने व गायत्री विधापीठ संस्था द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नियमो के विपरीत जाकर भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के प्रावधानो के विपरित मान्यताओ की जॉच के संबंध में शिकायती पत्र प्राप्त होने पर उपरोक्त तीनों संस्थाओं की जॉच (औचक निरीक्षण) किये जाने हेतु राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 की धारा 31 के अर्न्तगत तीन सदस्यीय निरीक्षण दल इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 118 दिनांक 27.03.2023 के द्वारा डॉ॰ लक्ष्मीकान्त गोयल सह–आचार्य जनरल मेडिसिन विभाग, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर, डॉ प्रदीप चारण, सहायक प्रोफेसर (एनेस्थीसिया) सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एण्ड अस्पताल जयपुर व डॉ. सिद्धार्थ शर्मा सह–आचार्य एनेस्थेसिया विभाग, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर को निरीक्षक नियुक्त किये गये थे।

उपरोक्त तीनों निरीक्षको द्वारा तीनों संस्थाओं का दिनांक 06.04.2023 को मध्यान्ह पूर्व (forenoon) निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण / जॉच रिपोर्ट कौंसिल को प्रस्तुत की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **Nimt College of Paramedical Sciences, Bagrana, Post - Kanota, Agra Road, Jaipur**

उक्त संस्था पर पहुचने पर प्रधानाचार्य कार्यालय में जाने पर वहॉ उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय देने के बाद प्रधानाचार्य से मिलने हेतु कहा तब उसने अपने निदेशक डॉ आर.डी. शर्मा को फोन करके बुलाया तथा उन्होने आकर निरीक्षण दल को निरीक्षण करवाने से मना कर दिया उनसे प्रधानाचार्य एवं अन्य टिचिंग स्टाफ को बुलाने के लिये कहा तो उन्होने कहा कि समस्त स्टाफ चले गये है। यद्दपि समय मध्यान्ह पूर्व (forenoon) का ही था। उनसे उक्त तीनो संस्थानो के विधार्थियो की कक्षाऐं एक ही संस्था निम्ट में ही करवाये जाने के बाबत पुछा तो उन्होने कहा कि कभी कभी तीनो संस्थाओ के छात्रो की कक्षाऐं इसी संस्था में होती है। डॉ. आर.डी. शर्मा ने उक्त तीनो संस्थानो के लैटर हैड पर उक्त संदर्भित संस्थानो के प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित होने के कारण निरीक्षण नहीं करवाने बाबत पत्र लिख कर निरीक्षणकर्ताओ को सुपूर्द कर दिया (पत्र संलग्न)। उक्त संस्था में निम्ट अस्पताल का बोर्ड भी लगा हुआ था जिसका निरीक्षण करवाने से मना कर दिया गया।

2. Shri Ram College of paramedical Science, kanota Jaipur.

उक्त संस्था पर पहुचने पर पाया गया कि संस्था बन्द था निवेदन करने पर डॉ. आर.डी. शर्मा ने संस्थान का केवल मैन गेट खुलवाया तथा अन्दर से निरीक्षण के लिये मना कर दिया। संस्था के संबंधित हॉस्पिटल के बारे में पुछे जाने पर उन्होने हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया।

3. Dr. Dayal Institute of Paramedical Technology, Village -Vijaypura, Post – Jamroli, Dist.- Jaipur

उक्त संस्था का कथित भवन बन्द था तथा उस पर संस्था का बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था आनन–फानन में डॉ. आर.डी. शर्मा ने अन्यत्र से बोर्ड मंगवाया तथा बोर्ड को संस्था परिसर की चारदिवारी के बाहर रखवाकर वही से निरीक्षण के लिये कहा। डॉ. आर.डी. शर्मा द्वारा संस्था का अन्दर से निरीक्षण करवाने के लिये मना कर दिया गया। संस्था के संबंधित हॉस्पिटल के बारे में पुछे जाने पर डॉ. आर.डी. शर्मा ने बताया कि इस संस्था का अस्पताल डॉ. दयाल हॉस्पिटल है उसके निरीक्षण के लिये भी उन्होने मना कर दिया गया।

(P.T.O.)

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर
सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

उपरोक्त विवेचन से उपरोक्त तीनो संस्थाओ के विरूद्व संयुक्त रूप से राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के शैक्षणिक सत्र 2021–22 में अध्ययनरत छात्रो द्वारा छात्रों का अध्ययन एक ही भवन में कराये जाने के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र के संबंध में प्राप्त शिकायत पर राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा पैरामेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 की धारा 31 के अर्न्तगत गठित तीन सदस्यीय निरीक्षण दल द्वारा दी गई जॉच रिपोर्ट से यह तथ्य साबित होता है कि Nimt College of Paramedical Sciences, Bagrana, Post - Kanota, Agra Road, Jaipur मे ही Shri Ram College of paramedical Science, kanota Jaipur व Dr. Dayal Institute of Paramedical Technology, Village -Vijaypura, Post – Jamroli, Dist.- Jaipur के छात्रो का अध्ययन एक ही परिसर में करवाया जाता है। इससे संस्था के छात्रों द्वारा दिनांक 13.09.2022 को की गई शिकायत प्रमाणित होती है, इसके अतिरिक्त जॉच रिपोर्ट मे Shri Ram College of paramedical Science, kanota Jaipur व Dr. Dayal Institute of Paramedical Technology, Village -Vijaypura, Post – Jamroli, Dist.- Jaipur के स्वंय के हॉस्पिटल/लैब का निरीक्षण करवाने से इन्कार करने से यह भी साबित होता है कि दोनो संस्थाओं का स्वंय का अस्पताल/लैब भी नहीं है। निरीक्षण दल को जॉच में सहयोग नहीं करके उक्त संस्थाओं द्वारा अपनी अनियमितताओं को छिपाने का कार्य किया जाना पाया गया है।

अतः उपरोक्त संस्थाओं के छात्रों द्वारा दिनांक 13.09.2022 को की गई शिकायत प्रमाणित होने के कारण प्रथमतः उपरोक्त वर्णित तीनो संस्थाओ क्रमशः Nimt College of Paramedical Sciences, Bagrana, Post - Kanota, Agra Road, Jaipur, Shri Ram College of paramedical Science, kanota Jaipur व Dr. Dayal Institute of Paramedical Technology, Village -Vijaypura, Post – Jamroli, Dist.- Jaipur में आगामी शैक्षणिक सत्र 2022–23 से संचालित सभी पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमो में छात्रो के प्रवेश आवंटन पर अस्थाई रूप से रोक लगाई जाती है।

(कैलाश नारायण मीना)
R.A.S.
रजिस्ट्रार 10/04/2023

क्रमांकःपैरामेडि.कौं/मान्यता/2023/148 दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अध्यक्ष राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
2. डिप्टी मैनेजर राजकोम्प (R.I.S.L.) जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त तीनो संस्थानो को काउन्सलिंग प्रक्रिया सत्र 2022–23 में शामिल नहीं किया जावें।
3. **Principal/Director, Nimt College of Paramedical Sciences, Bagrana, Post - Kanota, Agra Road, Jaipur.**
4. **Principal/Director, Shri Ram College of paramedical Science, kanota Jaipur.**
5. **Principal/Director, Dr. Dayal Institute of Paramedical Technology, Village -Vijaypura, Post – Jamroli, Dist.- Jaipur.**
6. अध्यक्ष/सचिव, गायत्री विधापीठ, जयपुर।
7. अध्यक्ष/सचिव, डॉ. दयाल संस्थान जयपुर।
8. काउन्सलिंग शाखा/पंजीयन/लेखा/संस्थापन/विधि/परीक्षा अनुभाग कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
9. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को कार्यालय की वैबसाईट पर आज ही अपलोड करे।
10. कार्यालय प्रति।

रजिस्ट्रार